पत्र संख्या–6/योजना–01–02/2012 गृ0आ0................../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषयः– **कटिहार जिलान्तर्गत रोशना ओ0पी0 के भवन हेतु भू–अर्जन के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹ 91,96,627 (एकानवे लाख छियानवे हजार छः सौ सताईस रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 83,44,627 (तेरासी लाख चौवालीस हजार छः सौ सताईस रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–254/आधु0, दिनांक–29.02.2016 के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2318, दिनांक–28.03.2011 द्वारा कटिहार जिलान्तर्गत रोशना ओ0पी0 के भवन हेतु भू–अर्जन के लिए ₹ 8,52,000 (आठ लाख बावन हजार रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए ₹ 8,52,000 (आठ लाख बावन हजार रू0) विमुक्त किया गया था। भू–अर्जन की प्रक्रिया के अन्तर्गत पंचाट घोषित किया जा चुका है। पंचाट के अनुसार कुल प्राक्कलित राशि ₹ 91,96,627 (एकानवे लाख छियानवे हजार छः सौ सताईस रू0) प्रतिवेदित किया गया है।

2. उपर्युक्त के आलोक में कटिहार जिलान्तर्गत रोशना ओ0पी0 के भवन हेतु भू–अर्जन के लिए पंचाट की राशि ₹ 91,96,627 (एकानवे लाख छियानवे हजार छः सौ सताईस रू0) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 83,44,627 (तेरासी लाख चौवालीस हजार छः सौ सताईस रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 83,44,627 (तेरासी लाख चौवालीस हजार छः सौ सताईस रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट शीर्ष–"4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–050–भूमि उपशीर्ष–0101–थाना/चौकी के भू–अर्जन हेतु" विपत्र कोड–P4055000500101 विषयशीर्ष–53 02–भू–अर्जन एवं राज्य योजना स्कीम कोड–HOM–5419 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबन्धित राशि से विकलनीय होगा।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, कटिहार होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, कटिहार से की जायेगी।

5. **वित्त विभाग के ज्ञापांक–3687, दिनांक–30.03.2012 के अनुसार विमुक्त राशि व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0 खाता) में जमा की जायेगी।**

6. पंचाटित राशि का मुआवजा भुगतान संबंधित रैयतों को नियमानुसार शीघ्र करना सुनिश्चित किया जाय।

7. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहित 2011 का विहित विपत्र पर की जायेगी।

8. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

10. उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र समर्पित किया जायेगा।

11. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

12. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6/योजना–01–02/2012 गृ0आ0 के पृ0–16/टि0 पर दिनांक–14.03.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:–6/योजना–01–02/2012 गृ0आ0.........2143.........../पटना, दिनांक 16 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कटिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/पुलिस अधीक्षक, कटिहार/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ